

प्रारूप - 1

(नाम - रस)

परिवार/स्थायता हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. वर्ग अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.दर्जा/सामान्य
3. आवेदक का पूर्ण पता
4. मृतक का नाम
5. आवेदक का मृतक से रिश्ता
6. मृतक का आयु (मतदाता सूची अनुसार)
7. मृत्यु पूर्व मृतक की वार्षिक आय (शाहरी क्षेत्र के लिए)
8. गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में अनुक्रमांक (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
9. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी :-

क्र.	नाम	मृतक के संबंध	आयु	व्यवसाय	वार्षिक आमदनी
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. मृत्यु दिनांक
11. मृत्यु का कारण
12. मृत्यु का रथान
13. दुर्घटनावश हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हो तो पुलिस थाने का नाम

स्थान

दिनांक

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

५०

प्रारूप - १

(नाम - क)

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा परिवार के आद व नये मुखिया द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्वीक/जाँच ।

प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति आयु निवासी
ग्राम/नगरीय वार्ड क्रमांक की मृत्यु-दिनांक को
कारणों से हुई ।

2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची के क्रमांक
..... पर अंकित है । या मेरे द्वारा स्वयं की गई जाँच के आवार पर प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ
कि समस्त स्त्रीओं से मृतक के परिवार की वार्षिक आय लगभग रूपये
प्रतिवर्ष थी । अतः उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा ।

3. स्वर्गीय श्री/श्रीमती/सुश्री की
मृत्यु अप्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश हुई, तथा संबंध में पुलिस थाना
में प्रकरण क्रमांक दर्ज हुआ है ।

4. परिवार-सहायता योजान्तर्गत नियमनुसार सहायता राशि रूपये
श्री/श्रीमती/सुश्री जो कि मृतक का /की है (संबंध बताये) को दिये जाने की जाती
है क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार का देखरेख विभाग करेंगे/करेगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर

सरपंच/पंच/सचिव ग्राम पंचायत

नगर निकाय के संबंधित

वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर तथा सौल